न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 08/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पृथ्वीसिंह पुत्र कुम्भसिंह उर्फ कुम्भासिंह 2. मुलसिंह पुत्र कुम्भसिंह उर्फ कुम्भासिंह 3. मेघसिंह पुत्र सगरसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम रिडमलसर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर)		1. आदुसिंह पुत्र सांगसिंह 2. आसुसिंह पुत्र सांगसिंह 3. देवीसिंह पुत्र सांगसिंह 4. भवानीसिंह पुत्र सांगसिंह 5. रसालकंवर पुत्री सांगसिंह 6. छोटूकंवर पुत्री सांगसिंह 7. गंगाकंवर पुत्री सांगसिंह 8. विजयकंवर बेवा इन्द्रसिंह 9. अमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 10. सुमेरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 11. पदमसिंह पुत्र कानसिंह 12. रूगनाथ सिंह पुत्र प्रेमसिंह 13. हड़मानसिंह पुत्र प्रेमसिंह 14. सुमेरसिंह पुत्र प्रेमसिंह 15. सायरकंवर बेवा तेजसिंह 16. मांगुकंवर पुत्री तेजसिंह 17. कमलकंवर पुत्री तेजसिंह 18. गुड्डाकंवर पुत्री तेजसिंह 19. स्वरूपसिंह पुत्र तेजसिंह 20. दुर्गसिंह पुत्र तेजसिंह 21. पृथ्वीसिंह पुत्र तेजसिंह 22. लखसिंह चेला रूपसिंह 23. भंवरकंवर बेवा कुम्भसिंह 24. रतनसिंह पुत्र सगतसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम रिड़मलसर, तह. फलौदी, जोधपुर) 25. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार फलौदी रिमाण्ड प्रकरण सं0 20/2012 दिनांक 17.9.14

उपस्थित–

1. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील अपीलांट्स
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 4, 6, 7 से 11, 15, 16, 18 से 21,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 08/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पृथ्वीसिंह पुत्र कुम्भसिंह उर्फ कुम्भासिंह 2. मुलसिंह पुत्र कुम्भसिंह उर्फ कुम्भासिंह 3. मेघसिंह पुत्र सगरसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम रिडमलसर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर)		1. आदुसिंह पुत्र सांगसिंह 2. आसुसिंह पुत्र सांगसिंह 3. देवीसिंह पुत्र सांगसिंह 4. भवानीसिंह पुत्र सांगसिंह 5. रसालकंवर पुत्री सांगसिंह 6. छोटूकंवर पुत्री सांगसिंह 7. गंगाकंवर पुत्री सांगसिंह 8. विजयकंवर बेवा इन्द्रसिंह 9. अमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 10. सुमेरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 11. पदमसिंह पुत्र कानसिंह 12. रूगनाथ सिंह पुत्र प्रेमसिंह 13. हड़मानसिंह पुत्र प्रेमसिंह 14. सुमेरसिंह पुत्र प्रेमसिंह 15. सायरकंवर बेवा तेजसिंह 16. मांगुकंवर पुत्री तेजसिंह 17. कमलकंवर पुत्री तेजसिंह 18. गुड्डाकंवर पुत्री तेजसिंह 19. स्वरूपसिंह पुत्र तेजसिंह 20. दुर्गसिंह पुत्र तेजसिंह 21. पृथ्वीसिंह पुत्र तेजसिंह 22. लखसिंह चेला रूपसिंह 23. भंवरकंवर बेवा कुम्भसिंह 24. रतनसिंह पुत्र सगतसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम रिड़मलसर, तह. फलौदी, जोधपुर) 25. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार फलौदी रिमाण्ड प्रकरण सं0 20/2012 दिनांक 17.9.14

3. श्री किसनाराम विश्नोई वकील रेस्पो0 सं0 22
4. श्री नाहरसिंह सोलंकी वकील रेस्पो0सं0 23, 24
5. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 25

निर्णय

दिनांक 06 .11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड नामान्तकरण मुकदमा नम्बर 20/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील फलौदी के ग्राम रिडमलसर वर्तमान में नया ग्राम खारिया के खसरा नं0 100 रकबा 12.05 बीघा, ख0नं0 103 रकबा 22.14 बीघा व ख0नं0 144 रकबा 140.09 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 175.08 बीघा कृषि भूमि खातेदार रूपसिंह पुत्र सतीदानसिंह के नाम दर्ज थी तथा इसी ग्राम के खसरा नं0 1152 रकबा 101.15 बीघा भूमि की खातेदारी में भी रूपसिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज था। खातेदार रूपसिंह द्वारा दिनांक 28.3.74 को ख0नं0 100, 103 व 144 की कुल भूमि 175.08 बीघा एवं ख0नं0 1152 में से अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का पंजीबद्ध बेचान प्रेमसिंह, कुम्भसिंह एवं सगरसिंह को कर दिया। लेकिन सांगसिंह, इन्द्रसिंह, पदमसिंह एवं तेजसिंह ने पटवारी हल्का व सरपंच ग्रा0पं0 रिडमलसर से मिलकर एक फर्जी बेचान दस्तावेज स्टॉम्प 3/–रूपये पर दिनांक 09.07.1971 को तैयार करवाकर, उपरोक्त खसरान की भूमि का इस अपंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर ग्रा0पं0 रिडमलसर से नामान्तरकरण सं0 221 दिनांक 10.04.1974 स्वीकृत करवा लिया गया।

उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलांट–रूपसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलौदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील में निर्णय दिनांक 03.07.1986 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना0क0सं0 221 को निरस्त करते हुए, प्रकरण तहसीलदार फलौदी को पुनः सुनवाई एवं जांच हेतु रिमाण्ड कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड ना0क0 प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलांट–रूपसिंह द्वारा दिनांक 17.10.1989 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र द्वारा ना0क0सं0 221 को यथावत रखने के आग्रह पर, तहसीलदार फलौदी के आदेश दिनांक 17.10.89 को विवादास्पद ना0क0सं0 221 को यथावत रखने का आदेश पारित कर दिया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

तहसीलदार फलौदी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने अति0जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 31.10.1998 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.89 को आरएलआर एक्ट की धारा 135(2) के तहत पारित होना मानते हुए, क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर मूल अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर अपीलांट–प्रेमसिंह ने दिनांक 6.1.99 को मूल अपील मय उक्त आशय के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो दर्ज नामा0 अपील सं0 1/99 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2001 द्वारा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.89 को निरस्त करते हुए निष्कर्शतः इस विवेचन के साथ ''कि स्वयं बेचानकर्ता ने अपंजीकृत बेचान स्टॉम्प 3/– को फर्जी होना बताकर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अप़ील की थी, जो स्वीकार हुई। ऐसी स्थिति में अपंजीकृत उक्त बेचान की वैद्यता को स्वीकार नही किया जा सकता है। फलस्वरूप वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं के पक्ष में पंजीकृत बेचान होने से उसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये।'' उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0–सांगसिंह वगैरा ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 4741/01 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.11 द्वारा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 15.6.01 एवं तहसीलदार फलौदी का आदेश दिनांक 17.10.89 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार फलौदी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.89 पर दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि अनुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करे।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 20/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.14 द्वारा ''प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम खारिया के ख0नं0 103 रकबा 22.14 बीघा सांगसिंह के वारिसान आदुसिंह, आसुसिंह, देवीसिंह, भवानीसिंह पि0 सांगसिंह एवं रसालकंवर, छोटूकंवर, गंगाकंवर पुत्रियां सांगसिंह के नाम खसरा नं0 144 में से 21.04 बीघा, इन्द्रसिंह के वारिसान विजयकंवर पत्नी इन्द्रसिंह, अमरसिंह, सुमेरसिंह पि0 इन्द्रसिंह के नाम ख0नं0 144 की रकबा 15.17 बीघा व ख0नं0 100 की 5.07 बीघा कुल 21.04 बीघा भूमि सायरकंवर पत्नी तेजसिंह, मांगुकंवर कमलकंवर, गुड्डाकंवर पुत्रियां तेजसिंह, स्वरूपसिंह, दुर्गसिंह, पृथ्वीसिंह पि0

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

तेजसिंह के नाम ख0नं0 144 की 15.16 बीघा एवं ख0नं0 100 की 5.08 बीघा कुल 21.04 बीघा भूमि पदमसिंह पुत्र कानसिंह के नाम और ख0नं0 144 की 83.15 बीघा भूमि व रिड़मलसर की ख0नं0 1152 रकबा 99.05 बीघा का 1/4 हिस्सा रूपसिंह के वारिस लखसिंह चेला रूपसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड व शेष 1/4 हिस्सा मूलसिंह, पृथ्वीसिंह पि0 कुम्भसिंह, हड़मानसिंह, रूगनाथसिंह, सुमेरसिंह पि0 प्रेमसिंह, मेगसिंह, रतनसिंह पि0 सगरसिंह में अमल दरामद करने का हल्का पटवारी को आदेश दिया गया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट–रेस्पो0सं0 12, 11 व 13/1–पृथ्वीसिंह, मूलसिंह पि0 कुम्भसिंह एवं मेघसिंह पि0 सगरसिंह ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसीलदार ने नामान्तरकरण जैर अपील राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है। वादग्रस्त भूमि रूपसिंह पुत्र सतीदानसिंह के नाम दर्ज थी। रूपसिंह द्वारा अपीलांट्स के पिता कुम्भसिंह, प्रेमसिंह व सगरसिंह पि0 केसरसिंह के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 28.3.74 को निष्पादित किया गया। जिसके द्वारा मूल गांव रिडमलसर के ख0नं0 100, 103 व 144 कुल रकबा 175 बीघा तथा ख0नं0 1152 में से 1/2 हिस्सा बेचान कर, कब्जा खरीददारों को सुपुर्द कर दिया गया था। अपीलांट्स के पक्ष में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 15.6.01 के पश्चात ना0कं0सं0 123 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम भी दर्ज हो गया, फिर भी तहसीलदार द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में पंजीबद्ध बेचाननामा को बिना देखे तथा अपीलांट्स को बिना कोई अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। स्वयं बेचानकर्ता रूपसिंह द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में अपंजीकृत बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलौदी में अपील पेश की थी तथा रिमाण्ड प्रकरण में रेस्पो0 तेजसिंह, सांगसिंह, पदमसिंह व इन्द्रसिंह से राजीनामा कर लिया तथा राजीनामा स्वीकार भी कर लिया गया। रूपसिंह तथा अपंजीबद्ध बेचाननामा के खरीददारों

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

द्वारा आपस में मिली भगत करके अपीलाधीन रिमाण्ड प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा सहमती प्रदान कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया गया, जिसमें अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। जबकि कानूनन वादग्रस्त भूमि में पंजीबद्ध बेचान करवाने के उपरांत बेचानकर्ता रूपसिंह का न तो अधिकार था तथा न ही अपंजीकृत बेचाननामा के आधार पर रेस्पो0 खरीददारों का कोई अधिकार था। वादग्रस्त भूमि मे केवल अपीलांट्स का कानूनी अधिकार था। इस मामले में बेचानकर्ता रूपसिंह तथा अपंजीकृत बेचाननामा के खरीददारों द्वारा दुरभी संधि करते हुए बंटवाडा बताते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवा कर अपीलांट्स के पक्ष में स्वीकृत ना0क0 को अपीलाधीन आदेश के जरिये निरस्त करवा दिया गया। दिनांक 17.10.89 को जो प्रार्थना पत्र राजीनामा का पेश किया गया वह बेचानकर्ता रूपसिंह तथा अन रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीददारों द्वारा पेश किया हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल उन्ही दो पक्षों को पक्षकार मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि कानूनी अधिकार पंजीबद्ध बेचाननामा के खरीददारों को ही प्राप्त था। जिसको दरकिनार करते हुए तहसीलदार द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.9.14 निरस्त करने तथा अपीलांट के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को बहाल करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थ में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010(1) पेज नं0 433–435 एवं 2023(1)डीएनजी(रेवेन्यु)160 पेज नं0 34–38 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील फलौदी के ग्राम रिडमलसर वर्तमान में नया ग्राम खारिया में खातेदार रूपसिंह पुत्र सतीदानसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का पंजीबद्ध बेचान प्रेमसिंह, कुम्भसिंह एवं सगरसिंह को कर दिया था। जिसका फर्जी बेचान दस्तावेज दिनांक 09.07.1971 के आधार पर ग्रा0पं0 रिडमलसर द्वारा ना0क0सं0 221 दिनांक 10.04.1974 पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी फलौदी के निर्णय दिनांक 03.07.1986 द्वारा निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार फलौदी को रिमाण्ड कर किया गया। जिसकी सुनवाई के दौरान अपीलांट–रूपसिंह द्वारा दिनांक 17.10.1989 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार तहसीलदार फलौदी के आदेश दिनांक 17.10.89 द्वारा विवादास्पद ना0क0 सं0 221 को

यथावत रखने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अति0जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर निर्णय दिनांक 31.10.1998 द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रेमसिंह ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 1/99 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2001 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.89 को निरस्त कर अपीलकर्ताओं के पक्ष में पंजीकृत बेचान के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0–सांगसिंह वगैरा ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 4741/01 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.11 द्वारा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 15.6.01 एवं तहसीलदार फलौदी का आदेश दिनांक 17.10.89 को निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार फलौदी को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.89 पर दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि अनुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 20/2012 में निर्णय दिनांक 17.09.14 द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण पारित का आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में वर्तमान अपीलांट स्वयं बतौर रेस्पां0सं0 12, 11 व 13/1–पृथ्वीसिंह, मूलसिंह पि0 कुम्भसिंह एवं मेघसिंह पि0 सगरसिंह पक्षकार है एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.9.14 के अनुसार इनके द्वारा दिनांक 17.10.89 को प्रस्तावित बंटवाडा पर लिखित में सहमति जताई गई। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.14 बाद दोनों पक्षों की सुनवाई तथा लिखित सहमति के आधार पर पारित होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नं0 3 के साथ उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार फलौदी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 4741/01 में पारित निर्णय दिनांक 03.05.11 द्वारा प्रकरण तहसीलदार फलौदी को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.89 पर दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि अनुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में

तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 20/2012 में बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 17.09.14 द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण पारित करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में वर्तमान अपीलांट स्वयं बतौर रेस्पां0सं0 12, 11 व 13/1–पृथ्वीसिंह, मूलसिंह पि0 कुम्भसिंह एवं मेघसिंह पि0 सगरसिंह पक्षकार एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.9.14 के अनुसार वकील रेस्पोडेंट व अपीलांट्स ने दिनांक 17.10.89 को प्रस्तावित बंटवाडा पर सहमति जताई गई है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.14 विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स सारहीन पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण मुकदमा नम्बर 20/2012 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.09.2014 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06 नवम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

06.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर